न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर।

अपील सख्याः–जीसीएमएस नं. 2021/162

1. देवकरण पुत्र कुरड़ाराम जाति अहीर, निवासी ग्राम सहनपुरी तहसील व जिला अलवर, राजस्थान।

––अपीलान्ट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये पटवारी हल्का घाटला, तहसील व जिला अलवर, राजस्थान।

––रेस्पोडेन्ट

उपस्थितिः–

1. श्री गोविन्दराम यादव, एडवोकेट अपीलार्थी की ओर से

निर्णय

दिनांकः 2610.2023

अपीलार्थी द्वारा यह अपील अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर अलवर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 16.02.2021 से असंतुष्ट होकर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956, की धारा 76 के तहत प्रस्तुत की गई।

अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपील के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया है कि तहसीलदर अलवर ने अपीलान्ट का एक नोटिस बाबत आराजी खसरा नम्बर 91 रकबा 0.06 हैक्टयर किस्म गैर मुमकिन रास्ते पर फसल बाजरा व चरी बोकर अतिक्रमण बाबत दिया गया जिसमें अपीलान्ट को बेदखली कर एवं 84/–चौरासी रूपये की पैनल्टी कायम की गई। जिसकी अपील अपीलान्ट ने जिला कलक्टर अलवर के यहॉ पर की। जिस अपील को जिला कलक्टर अलवर ने दिनांक 16.02.2021 को बैजा तौर पर खारिज कर दिया जो आदेश विधि विरूद्ध होने से निरस्तनीय है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अपीलान्ट की आराजी खसरा नम्बर 97 रकबा 58 ऐयर व खसरा नम्बर 138 रकबा 0.62 ऐयर है जिस पर अपीलान्ट अरसे दराज से काबिज काश्त है तथा अपीलान्ट की उक्त आराजी के तरफ उत्तर में खसरा नम्बर 91 है। अपीलान्ट अपनी खातेदारी की आराजी से अधिक आराजी पर काबिज नही है। जिस बाबत जिला कलक्टर अलवर ने कोई गौर नही किया तथा ना ही तहसीलदार अलवर ने इस पर कोई गौर किया जबकि अपीलान्ट की आराजी को पूरा किया जाना आवश्यक था तथा मौके की रिपोर्ट व पैमाईश रिपोर्ट तहसीलदार से मंगवाया जाना आवश्यक था जिस तथ्य पर भी अधीनस्थ न्यायालय ने कोई गौर नही किया जो तथ्य काबिले गौर न्यायालय श्रीमान् है। और अपील अपीलान्ट मंजूर होने योग्य है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि राजस्व रिकार्ड में अपीलान्ट की खातेदारी की आराजी के तरफ उत्तर का रास्ता दर्शित किया है जबकि

P.T.O.

संभागीय आयुक्त

मौके पर तरफ उत्तर को कोई रास्ता नही है। मौके पर तरफ दक्षिण को रास्त चालू है और उस पर सड़क बनी हुई है। जो राजस्व रिकार्ड में दर्शित नही है जिस तथ्य पर अधीनस्थ न्यायालय ने कोई गौर नही किया जो तथ्य काबिले गौर न्यायालय श्रीमान् है और अपील अपीलान्ट मंजूर होने योग्य है। अतः अपीलार्थी की अपील मंजूर की जाकर अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर अलवर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 16.02.2021 निरस्त फरमाया जावें तथा तहसीलदार अलवर को अपीलान्ट की खातेदारी की आराजी का रकबा पूर्ण करने तथा मौके पर रास्ता किस तरफ से चालू है, उस बात की जॉच कर निर्णय करने के आदेश प्रदान किये जावें।

रेस्पोडेन्ट की ओर से कोई भी उपस्थित नही।

हमनें पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड व तथ्यों का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता अपीलान्ट की बहस पर मनन किया गया जिससे जाहिर होता है कि अपीलार्थी द्वारा गैर मु. रास्ते की भूमि पर अवैध रूप से फसल बाजरा व चरी बौकर अतिक्रमण कर रखा है जबकि अपीलान्ट को राजकीय भूमि पर अतिक्रमण करने का कोई कानूनी अधिकार नही है जिसके सम्बन्ध में तहसीलदार अलवर द्वारा अपीलान्ट को अतिक्रमित भूमि से बेदखल करने एवं पैनल्टी से दण्डित करने के आदेश दिनांक 23.03.2018 पारित किये गये है। अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर अलवर द्वारा भी प्रकरण में उभयपक्ष को साक्ष्य, सबूत व दस्तावेजात इत्यादि प्रस्तुत करने का एवं सुनवाई का समुचित अवसर देने के उपरान्त ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 16.02.2021 पारित किया गया है जिसमें किसी प्रकार की कानूनी त्रुटि प्रतीत नही होती है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर अलवर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 16.02.2021 को यथावत रखा जाता है।

(डॉ0 आरूषी मलिक)
संभागीय आयुक्त
जयपुर

संभागीय आयुक्त
जयपुर

निर्णय आज दिनांक 26.10.2023 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त
जयपुर।

संभागीय आयुक्त
जयपुर